**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1548**

**(दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए)**

**प्रसारण विधेयक, 2024**

**1548. श्री सुदामा प्रसाद:**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) प्रसारण विधेयक, 2024 के प्रारूप के लिए जिन संगठनों और लोगों के साथ निजी परामर्श किया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रसारण विधेयक, 2024 को व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले सरकार ने इसका प्रारूप तैयार करने के लिए निजी परामर्श क्यों किया; और

(ग) क्या इस विधेयक की संवेदनशीलता और आम लोगों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए सरकार का इरादा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विचार-विमर्श करने का है?

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

(क) से (ग): प्रसारण सेवाएं (विनियमन) विधेयक, 2023 के प्रारूप को दिनांक 10.11.2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था, जिसमें आम जनता और हितधारकों से दिनांक 09.12.2023 तक राय/टिप्पणियां/सुझाव मांगे गए थे, बाद में इस अवधि को 15.01.2024 तक बढ़ा दिया गया।

मीडिया और मंनोरजन क्षेत्र के विभिन्न संगठनों सहित, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के दौरान व्यक्त व्यापक विचारों के आधार पर टिप्पणियों के लिए दिनांक 15.10.2024 तक अतिरिक्त समय दिया गया।

*****